

# झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0-6095 वर्ष 2017

संगीता कुमारी गोप

..... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य अपने सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के माध्यम से।
2. उपायुक्त, चतरा।
3. जिला शिक्षा अधीक्षक सह जिला कार्यक्रम अधिकारी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना, चतरा।
4. प्रखंड शिक्षा विस्तार अधिकारी सह समन्वयक, इटखोरी, चतरा।

..... प्रत्यर्थागण

उपस्थित :

माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह

याचिकाकर्ता के लिए :- श्री विश्वनाथ राँय, अधिवक्ता।

प्रत्यर्था राज्य के लिए :- श्री अपूर्व, जी0ए0 का ए0सी0।

05 / दिनांक: 28.11.2018

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, निर्देश पर, इस रिट एप्लिकेशन को वापस लेने की अनुमति चाहते हैं क्योंकि याचिकाकर्ता की शिकायतों का निवारण हो गया है।

राज्य के लिए उपस्थित अधिवक्ता मौजूद हैं। किए गए प्रार्थना के मद्देनजर, रिट याचिका वापस लेने के रूप में खारिज की जाती है।

ह0

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)